



उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-7

संख्या-12/2026/II/1200376/2026/001-CN-1860443-6-2099-237-2024

लखनऊ: दिनांक 09 जनवरी, 2026

शुद्धि-पत्र

महिला यात्रा आपातकालीन सुरक्षा प्रणाली परियोजना को यूपी-112 से इण्टीग्रेट/एकीकरण कराकर पूर्व से ही नामित कार्यदायी संस्था मे0 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से संचालित किये जाने हेतु कुल धनराशि रू0 2,24,13,750/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने विषयक गृह (पुलिस) अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-591/2025/-/001-CN-1860443-6-2099-237-2024, दिनांक 17.09.2025 में उल्लिखित नियम एवं शर्तें/प्रतिबन्ध के बिंदु संख्या-1 में उल्लिखित "प्रश्रुत परियोजना प्रारम्भ करने से पूर्व परियोजना की स्वीकृति पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जायेगी" को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

2- शासनादेश संख्या-591/2025/-/001-CN-1860443-6-2099-237-2024, दिनांक 17.09.2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए, शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,
अन्नावि दिनेशकुमार
विशेष सचिव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 3- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- अपर पुलिस महानिदेशक, यूपी0-112, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0 लखनऊ।
- 7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।
- 8- संबंधित मुख्यन/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
- 10- गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,
दीपक पटेल
अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।